



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, मई 4—मई 10, 2014, शनिवार/वैशाख 14—वैशाख 20, 1936
No. 9] NEW DELHI, MAY 4—MAY 10, 2014, SATURDAY/VAISAKHA 14—VAISAKHA 20, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 6 मई, 2014

का.नि.आ. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) संगठन निदेशालय वर्ग III तकनीकी, वैज्ञानिक और अन्य अननुसचिवीय पद भर्ती नियम, 1972 को, जहां तक उसका संबंध सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी- I और सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी-II पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' पद (सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा व अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering probation lifting or confirmation) consisting of :—	Not applicable.
(1) Commandant or Officer Commanding or an officer not below the rank of Captain —Chairman	
(2) Two Officers of the rank of Captain or junior Commissioned Officers or Foreman or Chargeman —Members	

[F. No. B/89228/RR/Searcher/EME Civ. (C-2)/63/D(Apptts)/2014]

DALPAT SINGH, Under Secy.

(रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2014

का.नि.आ. 37.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची में :—

(क) स्तंभ (10) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—

“पचासी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पंद्रह प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा”

(ख) स्तंभ (11) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—

(i) दस प्रतिशत विभागीय परीक्षा द्वारा समूह 'ग' के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने 1800 ग्रेड वेतन के साथ तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों।

(परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालिस वर्ष और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पचास वर्ष है।)

टिप्पण :- यदि ऐसे कर्मचारी उपलब्ध रिक्तियों से अधिक, संख्या में विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, ऐसे अतिरिक्त संख्या वाले कर्मचारियों पर उत्तरवर्ती वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पहले की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर जो बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, से पहले विचार किया जाए।

(ii) पांच प्रतिशत चयन के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिन्होंने 1800 ग्रेड वेतन के साथ उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किये जाने वाले रिक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हों।

[फा. सं. डी.एच.आर.डी./76257/भर्ती नियम/प्रशासन/सी/पी/03]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

टिप्पण :-मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक का. नि. आ.-12, तारीख 15 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 7th April, 2014

S.R.O. 37.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Rules, 2013, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Rules, 2013, in the Schedule,-

(a) in column (10), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Eighty-five percent by direct recruitment and fifteen percent by promotion”.

(b) in column (11), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Promotion :

(i) Ten per cent. through departmental examination from Group 'C' staff in the grade pay of Rs.1800 with three years regular service in the grade and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column (7).

(The maximum age-limit for eligibility of examination is forty-five years in the case of general candidates and fifty years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes).

Note: If more of such employees than the available number of vacancies qualifies in the departmental examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

(ii) Five per cent on selection basis from amongst Group 'C' staff in the grade pay of Rs.1800 with three years regular service in the grade and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column (7)”.

[F.No. DHRD/76257/RRs/Admin/C/P/03]

S. D. BHASOR, Under Secy.

Note: The principal rule was published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide notification number S.R.O.12 dated 15th February, 2013.